आय आयुक्त-कर, मद्रास

बनाम

शिवकाशी मैच निर्यात कंपनी

(के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, न्यायमूर्तिगण)

आयकर-साझेदारी विलेख-पंजीकरण के लिए आवेदन-पंजीकरण देने में आयकर अधिकारी का विवेकाधिकार-आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र-8 पर संदर्भ पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। तथ्य के प्रश्न-भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11)। 26 - ए. -भारतीय आय-कर नियम, 1922, आरआर. 2, 3, 4

शिवकाशी मैन्युफैक्चरिंग मैच में पाँच फ़िस थे शेनबागम मैच वर्क्स, ब्रिलियंट मैच वर्क्स, मनोरंजनजीता मैच वर्क्स, पायनियर मैच वर्क्स और ज्ञानम मैच वर्क्स का नाम और शैली के तहत माचिस बनाने वाली पांच कंपनियां थी। चार फर्मों में से प्रत्येक के भागीदार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में साझेदारी में प्रवेश किया और 1 अप्रैल, 1950 को एक साझेदारी विलेख को निष्पादित किया। आय-कर अधिकारी ने उक्त साझेदारी विलेख को एस के तहत पंजीकृत किया। लेकिन आय-कर आयुक्त की धारा 33 बी के तहत कार्य कर रहा है। 33 अधिनियम के बी ने उक्त साझेदारी विलेख का पंजीकरण रद्द कर दिया।

अपील पर, न्यायाधिकरण ने माना कि उक्त साझेदारी विलेख वास्तविक नहीं था। शेनबागम मैच वर्क्स के एकमात्र मालिक और साझेदारी विलेख के निर्माण पर उच्च न्यायलय ने एक संदर्भ में कहा की मैच वर्क्स साझेदारी के वास्तविक पक्ष नहीं थे, लेकिन दस्तावेज़ के पक्ष वास्तविक भागीदार थे। यह अपील विशेष अनुमति के माध्यम से आई है।

माना गया: -(i) (के. सुब्बा राव और एस. एम. सीकरी न्यायमूर्तिगण) के अनुसार कि धारा 26 (ए) के तहत आय-कर अधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान किया गया। 26 -

अधिनियम का एक न्यायिक है और वह केवल अटकलों के आधार पर किसी फर्म को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन वह प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालेगा। आयकर अधिकारी की अधिकारिता धारा 20 (ए), दो तथ्यों के तहत के निर्धारण तक सीमित है, अर्थात्,

(i) क्या पंजीकरण के लिए आवेदन अधिनियम के तहत अनुरूप बनाए गए है

(ii) क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज (साझेदारी विलेख) में दिखाई गयी फर्म फर्जी है या उसका कानूनी अस्तित्व नहीं है।

(ii) वर्तमान मामले में साझेदारी विलेख प्रत्यक्ष रूप से आवश्कताओ के अनुरूप है - साझेदारी के कानून के साथ-साथ आयकर अधिनियम की साझेदारी अधिनियम के तहत अन्य फर्मों के भागीदारों या भागीदारों के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है जो एक अलग व्यवसाय करने के लिए एक अलग पार्ट नेर्शिप बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। यह तथ्य कि ऐसे भागीदार या भागीदार ने अपने हिस्से के संबंध में दूसरों के साथ उप-साझेदारी की है, साझेदारी की वैधता को कम नहीं करता है और न ही जिस तरह से उक्त भागीदार अपने लाभ के हिस्से के साथ सौदा करता है, वह साझेदारी की वैधता के सवाल के लिए कोई प्रासंगिकता रखता है।

(iii) न्यायाधिकरण ने साझेदारी विलेख को गैर-कानूनी करार देते हुए असली गलती की। वर्तमान मामले में निर्धारिती-फर्म का एक अलग कानूनी अस्तित्व है, और इस तरह न्यायाधिकरण द्वारा जिन दो परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, अर्थात्, निर्धारिती फर्म के भागीदारों में से एक, जो अपनी मूल फर्म से पूंजी लाया गया था या कि कुछ भागीदारों द्वारा अर्जित लाभ मूल फर्म को सौंप दिया गया था, वे अप्रासंगिक होंगे। किसी फर्म का भागीदार निश्चित रूप से किसी भी स्रोत या अपनी पूंजी सुरक्षित कर सकता है। अपने लाभ

को अपने उप-भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दें। वे तथ्य एक वैध साझेदारी को फर्जी साझेदारी में परिवर्तित नहीं कर सकते।

वर्तमान मामले में साझेदारी विलेख एक वास्तविक दस्तावेज है और यह कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। यह कर बचने की कोशिश नहीं है। कर, लेकिन अपनी कर देयता को कम करने के लिए एक कानूनी उपकरण है।

(iv) अधिनियम की धारा 66 (2) के अर्थ में कानून का प्रश्न इस मामले में निर्णय के लिए आई क्योंकि न्यायधिकरण ने साझेदारी विलेख के प्रावधानों की गलत व्याख्या की और निष्कर्ष पर पहुंचने में अप्रासंगिक विचारो पर भरोसा किया।

श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड **बनाम** *आयकर आयुक्त, मद्रास* **[1956] एस.सी.आर 691 पर भरोसा किया।**

शाह, न्यायमूर्ति (i) के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय करना विशेष रूप से न्यायधिकरण जनजाति प्रांत के भीतर था कि क्या साझेदारों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में साझेदारी में प्रवेश किया था या अपने माचिस कारखाने का प्रतिनिधित्व करने के रूप में और इसका निर्णय था कि साझेदारी के विलेख में प्रवेश करने में, नामिक साझेदारी ने अपने संबंधित माचिस कारखाने का प्रतिनिधित्व किया, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत एक सन्दर्भ में प्रचारित होने के लिए खुला नहीं था। 66 (2) के तहत एक सन्दर्भ में उच्च न्यायलय को उस प्रश्न पर न्यायधिकरण के निष्कर्ष की अवहेलना करने का अधिकार नहीं था जो अनिवार्य रूप से तथ्यों में से एक था। वर्तमान मामले में तथ्य के एक प्रश्न पर न्यायधिकरण के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायलय के लिए उचित नहीं था क्योंकि यह निर्धारिती का मामला नहीं था कि न्यायधिकरण का निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित था या कि यह विकृत था।

(ii) जहाँ कानून काराधन के लिए कम दायित्व का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करता है, वे शर्तें जब तक अन्यथा प्रदान न किया जाए, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, और यदि इनका अनुपालन नहीं किया जाता है तो कर लगाने वाले अधिकारी - करदाता को दावा किया गया लाभ देने से इनकार के लिए बाध्य होंगे। किसी विलेख को पंजीकृत करने से इंकार करने का अधिकार आयकर अधिकारी के पास होगा, भले ही साझेदारी के सामान्य कानून के तहत पूर्व नामांकित साझेदारी के अधिकारों को अन्यथा समायोजित किया जा सकता है।

यदि उस प्रपत्र से संबंधित आवश्यकताएँ जिसमें याचिका दायर की जानी है प्रस्तुत किए जाने का अनुपालन नहीं किया जाता है, और प्रासंगिक जानकारी के साथ है अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिकारी को पंजीकरण से इनकार करने में उचित ठहराया जा सकता है। में। वर्तमान मामले में आयकर अधिकारी पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य था जैसा कि निर्धारिती के पाँच भागीदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में नहीं किया गया था आरआर की आवश्यकताओं के अनुरूप 2 और भारतीय आय-कर नियमों के 3।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1963 की दीवानी अपील संख्या 700

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक जनवरी 11, 1961 को 1956 के संदर्भित संख्या 131 में निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील

एच. एन. सान्याल, सॉलिसिटर-जनरल/महान्यायमिकर्ता, एन. डी. कारखानीस और आर. एन. सचथी, अपीलार्थी के लिए।

के. श्रीनिवासन और आर. गोपालकृष्णन, प्रतिवादी के लिए

29 अप्रैल, 1964. सुब्बा राव, सीकरी /न्यायमूर्तिगण का फैसला सुब्बा राव, न्यायमूर्ति, शाह , न्यायमूर्ति द्वारा असहमतिपूर्ण राय दी गई। सुब्बा राव, न्यायमूर्ति विशेष

अनुमति द्वारा यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 की धारा 66 (22) निर्देशित है - जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया।

जिन तथ्यों ने अपील को जन्म दिया है, उन्हें संक्षेप में बताया जा सकता है। शिवकाशी में माचिस बनाने वाली पांच कंपनियाँ है। शेनबागम मैच वर्क्स के नाम और शैली के तहत ब्रिलियेंट मैच वर्क्स, मनोरंजनजीथ मैच वर्क्स, पायनियर मैच वर्क्स, और ज्ञानम मैच वर्क्स है। पांच फर्म में साझेदारों की कुल संख्या 10 या 11 से अधिक नहीं है। राजामोनी नादर शेनबागम मैच वर्क्स के एक मात्र मालिक हैं और अन्य चार फर्म में एक से अधिक भागीदार हैं। वर्ष 1948 में उनमे से प्रत्येक फर्म के एक व्यक्ति ने अपनी प्रतिनिधि अमत में बैंकिंग और कमीशन एजेंटो के व्यवसाय को आगे बढ़ने के लिए एक साझेदारी बनायीं जिसका मुख्या व्यवसाय शिवकाशी में विभिन्न माचिस कारखानों के उत्पादों का विपणन था। जब उक्त साझेदारों ने मूल्याङ्कन वर्ष 1949 - 1950 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया तो आयकर विभाग ने उस आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया कि विभिन्न कम्पनिया वैद्य साझेदारी का गठन नहीं कर सकती। इसके बाद शंकरलिंगा नादर, अरुमुदा स्वामी नादर, अरुणाचल नादर, पलनीस्वामी नादर और राजामोनी नादर, पहले चार अपनी - अपनी फर्मो के साझेदारों में से एक थे और अंतिम अपनी फर्म के एकमात्र मालिक थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक भाग में प्रवेश किया उपरोक्त उद्देशय के लिए और 1 अप्रैल, 1950 को एक साझेदारी विलेख निष्पादित किया। उन्होंने पंजीकरण के लिए आयकर अधिकारी को साझेदारी का उक्त विलेख प्रस्तुत किया आयकर अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1952 द्वारा इसे अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत पंजीकृत किया, लेकिन आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 33 (बी) के तहत कार्य करते हुए 23 अक्टूबर, 1954 के आदेश द्वारा पंजीकरण को रद्द कर दिया और मुल्यांक को एक और विनियमन के रूप में करने का निर्देश दिया। अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने

साझेदारी विलेख के निर्माण और कुछ अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त विलेख "वास्तविक नहीं है और केवल एक अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में लाया गया है, कि विलेख के तहत जिन व्यक्तियों को लाभ वितरित किए जाते हैं, वे उन व्यक्तियों के वास्तविक लाभ नहीं हैं।" संक्षेप में यह माना गया कि उक्त साझेदारी विलेख वास्तविक नहीं था। मद्रास उच्च न्यायालय को दिए गए एक संदर्भ पर, उस उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, दस्तावेज़ के निर्माण पर, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैच वर्क्स साझेदारी के वास्तविक पक्ष नहीं थे, बल्कि दस्तावेज़ के पक्षकार वास्तविक भागीदार थे। इसलिए वर्तमान अपील।

राजस्व के विद्वान वकील/अधिवक्ता ने हमारे सामने दो बिंदुओं को नीचे रखा है, अर्थात् (i) अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष एक तथ्य थे और उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 66(2) के तहत किए गए पुनर्मूल्यांकन पर अपने निष्कर्ष की शुद्धता का प्रचार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। और (ii) न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सही था और उच्च न्यायालय ने गलती से इसमें हस्तक्षेप किया।

यह आम जगह है जो अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत उच्च न्यायालय का संदर्भ केवल कानून के प्रश्न पर निहित है। प्रावधान के दायरे पर विस्तार से विचार किया गया है। इस न्यायालय द्वारा श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त, मद्रास (1)। इसमें प्रावधान का दायरा विभिन्न प्रस्तावों के तहत निर्धारित किया गया है। निर्णय के आधार पर यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता कि यदि पंजीकरण से इनकार करने का आदेश आय-कर अधिकारी को अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के दायरे से परे जाता है। और उसके तहत बनाए गए नियमों का या यदि निर्णय साझेदारी के निर्माण पर निर्भर करता है। न्यायाधिकरण विलेख या यदि निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए कोई सबूत नहीं है, तब उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत

अधिकार क्षेत्र होगा। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष पूरी तरह से तीन सिरों के अंतर्गत आता है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को इस प्रकार पढ़ें:

धारा 264 (1) आवेदन किया जा सकता है किसी भी फर्म की ओर से आयकर अधिकारी, साझेदारी के एक अपकरण के तहत, समझौते के तहत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और आयकर या अति - कर से सम्बंधित लागो होने वाले समय के लिए किसी अन्य अधिनियम के लिए भागीदारों के कर व्यक्तिगत शेयरों/हिससों के लिए

(2) आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, और ऐसे समय में और ऐसे विवरण शामिल होंगे और उस तरह के रूप में होंगे, और उस तरह से सत्यापित किया जाएगा, जैसा कि नियोजित किया जा सकता है, और उसे आयकर अधिकारी द्वारा उस तरह से निपटाया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में केंद्रित राजस्व के केंद्रीय बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाया

नियम 2. साझेदारी के एक उपकरण के तहत गठित किसी भी फर्म ने भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों को निर्दिश्ट कर सकते हैं, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 26 (ए) के प्रावधानों के तहत (इसके बाद इन नियमो में अधिनियम के रूप में संदर्भित), आयकर अधिकारी के साथ पंजीकरण करे, उस ओर से किए गए आवेदन पर किए गए उपकरण में निहित विवरण बनाया।

उस तहत के आवेदन को सभी भागीदारों (नाबालिक नहीं है) द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा और उन्हें बनाया जाएगा।

(ए) अधिनियम की धारा 23 के तहत किसी भी वर्ष के लिए फर्म की आय का आकलन किया जाता है, या

.....

नियम 3. नियम 2. में निर्दिष्ट आवेदन इस नियम से जुडी रूप में किया जाएगा और साझेदारी के मूल साधन के साथ ही होगा जिसके तहत फर्म को एक प्रतिलिपि के साथ गठित किया जाता है।

.....

स्वरुप 1

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 26 (ए) के तहत किसी फर्म के पंजीकरण लिए आवेदन

.....

नियम 4 यदि नियम 3 में निर्दिष्ट, आवेदन की प्राप्ति पर आयकर अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि एक फर्म है या था या अस्तित्व में थी जैसा कि समझदारी के साधन में दिखाया गया है और आवेदन ठीक से किया गया है, वह लिखित रूप में प्रशिक्षक था, प्रमाणित प्रति के नीचे, जैसा की मामला हो, निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र हो सकता है, अर्थात

.....

नियम 6 बी आयकर अधिनियम के इस बात से संतुष्ट होने की स्तिथि में कि नियम 4 के तहत या नियम 6 ए के तहत अस्तित्व में एक वास्तविक फर्म के बिना प्राप्त किया गया है, यह उस तरह से दिए गए प्रमाण पात्र को रद्द कर सकता

है। 4 , या नियम 6ए के तहत, अस्तित्व में एक वास्तविक फर्म के बिना प्राप्त किया गया है, वह इस तरह से दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है।

अधिनियम की धारा 26 ए का एक संयुक्त प्रभाव। और बनाए गए नियमों में से इसके तहत यह है कि यदि किसी फर्म द्वारा किया गया आवेदन देता है नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक विवरण, देता है, अधिकारी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, यदि कोई फर्म मौजूद है जैसा कि आयकर साझेदारी के साधन में दिखाया गया है। को एक फर्म को अस्तित्व में नहीं करा जा सकता है यदि एक फर्जी है या वास्तविक नहीं है, या यदि कानून में साझेदारी का गठन शुन्य है। आयकर अधिनियम का क्षेत्राधिकार/अधिकारक्षेत्र इसलिए, सीमित है दो तथ्यों का निर्धारण करने में, अर्थात् (i) क्या आवेदन पंजीकरण के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप है, और (ii) क्या पंजिजकारन के लिए भेजे गए दस्तावेज में दिखाए गए फर्म बोगस/फर्जी है या कोई कानूनी नहीं है इसके अलावा, धारा 26 ए के प्रदान किया गया विवेकाधिकार न्यायिक और वह केवल अटकलबाजी के आधार पर एक फर्म को पंजीकृत करने से इंकार नहीं कर सकता है लेकिन वह अपने निष्कर्ष को प्रासंगिक साक्ष्य का आधार अवश्य बनाएगा।

वर्तमान मामले में तथ्य क्या हैं? साझेदारी विलेख 1 अप्रैल, 1950 का है। दस्तावेज़ में पाँच लोग उन्हें इसके भागीदारों के रूप में दिखाया जाता है। फर्म का नाम दिया गया है, साझेदारी व्यवसाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, व्यवसाय का ड्यूरेशन/अवधि निर्धारित किया गया है और पूंजी निर्धारित की गई है समान भाग में उनके बीच विभाजित निर्धारित की गई है। साझेदारी विलेख का खंड 16, जिस पर न्यायाधिकरण पर भरोसा किया, पढ़ता हैः

"यह फर्म भागीदारों के माचिस कारखानों के पूरे उत्पादन पर क्रमशः प्रति सकल आधा वर्ष का कमीशन एकत्र करेगी। 1 अप्रैल 1950 से निर्मित लैंट मैच वर्क्स,

मनोरंजनजीता मैच वर्क्स, पायनियर मैच वर्क्स, शेनबागम मैच वर्क्स और ज्ञानम मैच वर्क्स के माध्यम से क्या बिक्री की गई थी। इस फर्म या नहीं और प्रभावित बिक्री पर प्रति सकल आधे अन्न का एक और कमीशन इस कंपनी के माध्यम से। यह कमीशन उपरोक्त कारखानों से उत्पादित सभी प्रकार के माचिस पर लगाया जाएगा। इन कारखानों के पूरे उत्पादन पर प्रति सकल आधा अन्न का कमीशन/छूट प्रत्येक वर्ष के अंत में देय था। संबंधित कारखानों को महीने का भुगतान किया जाएगा, उनकी सलाह पर"।

खंड 22 और 23 जो इस प्रश्न पर और प्रकाश डालते हैं उठाया गया पढ़ा गयाः

खंड 22. इस फर्म के व्यवसाय का अब अलग-अलग भागीदारों द्वारा किए जा रहे माचिस निर्माण व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होगा और न ही होगा, धीरे-धीरे या दूसरों के साथ साझेदारी में।

खंड 23. इस तथ्य के बावजूद कि फर्म के व्यवसाय के दौरान आग लगने या किसी अन्य कारण से फर्म को कोई नुकसान कि इस विलेख के लिए भागीदारों की माचिस निर्माण चिंताओं की बिक्री या लेनदेन से संबंधित नुकसान इस फर्म द्वारा वहन किया जाएगा और इस विलेख के लिए भागीदारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

यह विवादित नहीं है कि साझेदारी विलेख प्रत्यक्ष रूप से साझेदारी के कानून के साथ-साथ आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के तहत साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है पर जो सभी या किसी अन्य द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभ को साझा करने पर सहमत हुए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करना जिन्होंने भाग में प्रवेश किया है एक-दूसरे के साथ नरशिप के रूप में जिसे व्यक्तिगत रूप से भागीदार कहा जाता है और सामूहिक रूप से एक फर्म और जिस नाम के

तहत व्यवसाय किया जाता है, उसे फर्म का नाम कहा जाता है। दस्तावेज़ निश्चित रूप से उक्त परिभाषा के अनुरूप है। साझेदारी अधिनियम के तहत किसी भागीदार या भागीदार के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्य, एक अलग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग साझेदारी बनाने के लिए फर्मों का एक साथ संयोजन। यह तथ्य कि ऐसे हिस्सेदार या भागीदारों ने अपने हिस्से के संबंध में दूसरों के साथ उप-साझेदारी में प्रवेश किया है, साझेदारी की वैधता को कम नहीं करता है और न ही जिस तरह से उक्त भागीदार अपने लाभ के हिस्से के साथ सौदा करता है, वह प्रश्न साझेदारी की वैधता के लिए कोई प्रासंगिकता रखता है। दस्तावेज़, इसके सामने, एक वैध साझेदारी का प्रतीक है जो अनुरूपता में दर्ज की गई है साझेदारी के कानून के साथ।

लेकिन न्यायाधिकरण ने माना है कि साझेदारी एक नहीं है निम्नलिखित कारणों से वास्तविकः (i) पहले फर्म ने साझेदारी में प्रवेश किया था लेकिन उसी को अस्वीकार कर दिया गया था; (ii) खंड 16 के तहत। साझेदारी विलेख के फर्म को पूरे का कमीशन एकत्र करने का अधिकार है बड़ी साझेदारी के उत्पादन का मिलान करें या नहीं वे फर्म के माध्यम से अपनी बिक्री को प्रभावित करते हैं या नहीं; (iii) ज्ञानम मैच वर्क्स की पुस्तकें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि राजधानी का योगदान पलानीस्वामी ने नहीं दिया था नादर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लेकिन बड़े पैमाने पर इस प्रकार की फर्म; और (iv) अन्य तीन के संबंध में बड़ी फर्मों को भी उनके प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया लाभ निर्धारिती फर्म के अंशों को बड़ी फर्मों में उनके लाभ साझाकरण अनुपात के अनुसार सभी भागीदारों के बीच विभाजित किया गया था। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने साझेदारी विलेख के प्रासंगिक खंडों के संयोजन पर पाया कि व्यवसाय केवल फर्म के भागीदारों का व्यवसाय था और दोनों परिस्थितियों पर न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किया गया था यह सुनिश्चित करने में अप्रासंगिक थे कि क्या उक्त साझेदारी

वास्तविक था या नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि दस्तावेज़ एक वैध साझेदारी का खुलासा करता है। साझेदारी को भागीदारों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में स्वीकार किया गया था क्योंकि उनकी प्रतिनिधि क्षमता में उनकी पिछली साझेदारी इस आधार पर पंजीकृत नहीं थी कि ऐसा साझेदारी अवैध थी। यदि बड़ी फर्में गठन नहीं कर सकती हैं एक नई साझेदारी के सदस्य, उनमें से कुछ भागीदार फर्म निश्चित रूप से अपने अधिकार को कम करते हुए साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण क्षमता यदि वे कानूनी रूप से ऐसा कर सकते हैं। अगर वे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, केवल तथ्य यह है कि उनमें से एक ने पूंजी उधार ली एक मूल फर्म से-हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग संवहन के लिए कर रहे हैं संदर्भ का अभाव-या उनमें से कुछ ने अपना समर्पण कर दिया मूल फर्म को लाभ इसे किसी भी तरह से वास्तविक फर्म नहीं बना सकता है। न ही खंड 16, साझेदारी विलेख से अलग होता है इसकी सच्चाईः वह खंड में कोई अधिकार नहीं बनाता है छूट एकत्र करने के लिए साझेदारी; निकटता को देखते हुए निर्धारिती फर्म और मूल फर्मों के बीच निकट संबंध के मद्देनज़र, मूल फर्मों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी सभी बिक्री निर्धारित फर्म के माध्यम से करे। यदि उन्होंने नहीं किया और यदि उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया तो निर्धारिती - फर्म उक्त खंड के तहत अपने अधिकार से दबाव नहीं बना सकता। उक्त खंड 22 में स्पष्ट शब्दों में जोर दिया गया है निर्धारिती-फर्म और मूल फर्म की अलग-अलग पहचान, और खंड 23 घोषणा करता है कि इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारिती-फर्म को बिक्री या हस्तांतरण पर नुकसान हुआ है माचिस निर्माण संबंधी चिंताओं से संबंधित कार्रवाई, केवल निर्धारिती-फर्म ही नुकसान वहन करेगी और इस प्रकार इंगित करती है कि निर्धारिती-फर्म का नुकसान इसके द्वारा वहन नहीं किया जाएगा मूल कंपनियाँ। यदि निर्धारिती-फर्म का एक अलग कानूनी अस्तित्व है अर्थात्, न्यायाधिकरण द्वारा जिन दो परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, अर्थात्, कि पलानीस्वामी नादर, के भागीदारों में से एक निर्धारिती-फर्म, जिसे उसकी मूल फर्म से पूंजी में लाया गया था या कि कुछ भागीदारों द्वारा

अर्जित लाभ समर्पण था, मूल फर्मों के लिए अप्रासंगिक होगा। एक भागीदार फर्म निश्चित रूप से किसी भी स्रोत से अपनी पूंजी सुरक्षित कर सकती है या अपना लाभ अपने उप-भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दें। वे तथ्य एक वैध साझेदारी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक नकली में।

न्यायाधिकरण ने दोनों अवधारणाओं को मिला दिया, अर्थात, लीगा साझेदारी और भागीदारों के लाभ का अंतिम गंतव्य। इसने साझेदारी की वैधता और व्यक्ति के उद्देश्य के सवाल को भी मिला दिया। साझेदारी में प्रवेश करने में भागीदार। यदि कानूनी कठिनाई से बचने के लिए 5 व्यक्ति, हालांकि उनमें से चार अलग-अलग फर्मों के सदस्य हैं, तो स्पष्ट रूप से अनुपालन करने के लिए साझेदारी करें। कानून के प्रावधान के साथ, हम धोखाधड़ी का कोई सवाल नहीं देखते हैं। या वास्तविकता शामिल है। यह एक वास्तविक दस्तावेज है और यह कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। यह कर से बचने का प्रयास नहीं है, बल्कि अपनी कर देनदारी को कम करने का एक कानूनी उपकरण है। तथ्य यह है कि सभी फर्मों के सभी भागीदारों की संख्या 12 से अधिक नहीं थी और यदि वे सभी को चुनते तो वे साझेदारी में प्रवेश कर सकते थे, यह इंगित करता है कि साझेदारी के पीछे कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। चूंकि न्यायाधिकरण ने साझेदारी विलेख के प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में अप्रासंगिक विचारों पर भरोसा किया, इसलिए उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। इन परिस्थितियों में, श्री मीनाक्षी मिल्स के मामले (1) में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, अधिनियम की धारा 66 (2) के अर्थ के भीतर कानून का प्रश्न है। जो निर्णय के लिए अधिनियम का उदय हुआ। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का सही-सही नकारात्मक उत्तर दिया।

नतीजतन, अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

शाह न्यायमूर्ति.-शिवकाशी मैच एक्सपोर्ट कंपनी-यहाँ बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित-एक साझेदारी है जो "मद्रास राज्य के शिवकाशी में विभिन्न माचिस कारखानों के उत्पादों के बैंकर, कमीशन एजेंट और वितरकों के रूप में व्यवसाय करती है"। निर्धारिती का गठन एक विलेख के तहत किया गया था दिनांक 1 अप्रैल, 1950। फर्म के पाँच भागीदार थे (1) एन.पी.ए.एम शंकरनलिंग नादर (2) के. एस. एस. अरुमुघा स्वामी नादर (3) के. ए. एस. अरुणुचाला नादर (4) के. पी. ए. टी. राजमोनी नादर और (5) वी. एस. वी. पी. पलानीस्वामी नादर। 1 अप्रैल, 1950 से पहले, शिवकाशी मैचेस एक्सपोर्टिंग कंपनी नामक एक फर्म भी मौजूद थी, जिसमें शिवकाशी में 12 मार्च, 1948 के एक साझेदारी विलेख के तहत गठित "छह माचिस कारखानों का एक संयोजन शामिल था"। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 26 (ए) के तहत इस साझेदारी का पंजीकरण को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि साझेदारी विलेख में व्यक्तिगत भागीदारों के वास्तविक शेयरों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके बाद साझेदारी बनाने वाला एक विलेख, जिसे इन कार्यवाहियों में पंजीकृत करने की मांग की गई है, 1 अप्रैल, 1950 को निष्पादित किया गया था। प्रस्तावना में यह पढ़ा गया था कि मूल रूप से पांच भागीदारों में से चार अपने-अपने मैच निगमों के प्रतिनिधियों के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे थे, और यह आवश्यक पाया गया कि वे 1 अप्रैल, 1950 से संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उक्त व्यवसाय को जारी रखें, और यह उनकी ओर से स्वीकार करने के लिए 1 अप्रैल, 1950 से पांचवें व्यक्ति, अर्थात् वी. एस. वी. पलानीस्वामी नादर सहमत हुए। निम्नलिखित हैं - साझेदारी समझौते के सामग्री कंडिकाए है:

"(16) यह फर्म आधा आना प्रति ग्रॉस का कमीशन के पूरे उत्पादन पर कमीशन एकत्र करेगी जो क्रमशः भागीदारों के मैच कारखाने, ब्रिलियंट मैच वर्क्स, मनोरंजनजीता मैच वर्क्स, पायनियर मैच वर्क्स, शेनबागम मैच वर्क्स और ज्ञानम मैच वर्क्स, प्रो 1 अप्रैल 1950 से पता चला कि क्या बिक्री हुई थी इस फर्म के माध्यम से प्रभावित या नहीं

और आगे प्रति सकल आधे अन्न का कमीशन इस फर्म के माध्यम से की गई बिक्री। यह कमीशन/छूट सायन को सभी प्रकार के मैचों पर एकत्र किया जाएगा। उपरोक्त कारखानों से उत्पादित। प्रति सकल आधे अन्न का कमीशन इन कारखानों का पूरा उत्पादन देय था हर महीने के अंत में डेबिट किया जाएगा, संबंधित कारखानों को उनकी सलाह के तहत।

"(22) इस फर्म का व्यवसाय होगा और माचिस निर्माण से कोई संबंध नहीं होगा। अब साझेदार सेपा द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय या दूसरों के साथ साझेदारी में।

(23) आग, दुर्घटना के माध्यम से फर्म को कोई नुकसान कि बिक्री पर नुकसान हो सकता है या मैच मैन्युफैक्चर/माचिस निर्माण से संबंधित लेनदेन इस विलेख के लिए भागीदारों की चिंताओं को दूर करना, इस फर्म द्वारा वहन किया जाएगा और समान रूप से होगा इस कार्य में साझीदारों के बीच बंटवारा किया गया।"

यह एक सामान्य आधार है कि प्रत्येक भागीदार इसमें चिंतित था मालिक के रूप में या दूसरों के साथ भागीदार के रूप में माचिस का निर्माण। शंकरलिंग नादर ने ब्रिलियंट मैच वर्क्स के नाम पर दो अन्य लोगों के साथ माचिस के निर्माता के रूप में व्यवसाय किया; अरमुघस्वामी नादर ने मनोरंजनजीता मैच वर्क्स के नाम पर तीन अन्य लोगों के साथ भागीदार के रूप में; पायनियर मैच वर्क्स के नाम पर अरुणाचल नादर ने दो अन्य लोगों के साथ भागीदार के रूप में। शेनबागम मैच वर्क्स के एकमात्र मालिक के रूप में, और पलानीस्वामी नादर तीन अन्य लोगों के साथ भागीदार के रूप में ज्ञानम मैच वर्क्स का नाम।

27 अक्टूबर, 1952 को आयकर अधिकारी ने धारा 26 (ए) के तहत एक आदेश पारित किया। 26 - साझेदारी का पंजीकरण प्रदान करना जो दिनांक 1 अप्रैल, 1950 के विलेख के तहत गठित, लेकिन आय-कर आयुक्त, मद्रास, अधिनियम की धारा 33 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। आय-कर आयुक्त, मद्रास, ने आदेश को

दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि साझेदारी का आकलन कर अनुपातिक रूप में किया जाए आयुक्त के विचार में अंशकालिक विलेख मामलों की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और यह कि "साझेदारी विलेख में पाठों से अलग वास्तविक स्थिति यह थी कि मैच कारखानों के सभी भागीदार सीधे निर्धारिती के भागीदार थे" और क्योंकि सभी भागीदारों के नाम विलेख में निर्धारित नहीं किए गए थे और पंजीकरण से संबंधित अन्य आवश्यकताओं को निर्धारित नहीं किया गया था। इसका पालन करने पर पंजीकरण से इनकार कर दिया जाएगा। आदेश आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील में संपुष्ट हो गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 66 (2) के तहत न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख कियाः

"चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आयकर अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत निर्धारिती फर्म के पंजीकरण से इनकार कानून में सही है?"

उच्च न्यायालय ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक दिया। उस आदेश के खिलाफ, विशेष अनुमति के साथ, आयकर आयुक्त ने इस न्यायालय में अपील की है।

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि विलेख में करार साझेदारी और विशेष रूप से ज्ञानम मैच वर्क्स की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि के प्रकाश में देखे गए पैराग्राफ/कंडिका 3 और 16 में निर्धारिती को पलानीस्वामी नादर के नाम से योगदान की गई पूंजी को डेबिट/निकासी करते हुए, न कि उसके भागीदार के नाम पर, और पलानीस्वामी नादर, शंकरलिंग नादर, अरु मघास्वामी नादर और अरुणाचलम नादर द्वारा अपने-अपने व्यवसाय के अन्य मालिकों के साथ निर्धारिती से प्राप्त लाभ का विभाजन, इंगित करता है कि नामित भागीदार उन मालिकों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि खंड 16 साझेदारी की सहमति ने विनिर्माण संस्थाओं पर "माचिस कारखानों के

उत्पादन" पर निर्धारित किसी भी कमीशन का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं लगाया। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया:

> "खंड 16 विनिर्माण चिंताओं पर कोई दायित्व नहीं डालता है और अन्य मिलान कंपनियों के खिलाफ एक प्रवर्तनी अनुबंध के रूप में काम नहीं कर सकता है। यदि उन मिलान कंपनियों में से एक को निर्धारित फर्म के माध्यम से अपने बिक्री व्ययसाय को रखने से इंतजार करना चाहिए, तो एक मात्र परिणाम शायद यह होगा कि साझेदारी इस विनिर्माण कंपनी को धन या वित्त नहीं देगी, यह भी हो सकता है कि विनिर्माण कंपनी में रूचि रखने वाला विशेष भागीदारी इस साझेदारी का नाम खो सकता है, लेकिन यह वही बात नहीं है यह कहने के लिए कि वे विनिर्माण प्रतिष्ठान स्वयं निर्धारिती साझेदारी के भागीदार बन गये थे।"

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्धारिती अपने भागीदारों द्वारा प्राप्त लाभ के निपटान से संबंधित नहीं था। अंत में उच्च न्यायालय ने कहा कि "एक व्यक्तिगत साझेदारी के सदस्य को इससे रोका नहीं जाता है एक अन्य साझेदारी के सदस्य के रूप में व्यवसाय में संलग्न होना। कानून इस तरह के पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है और यहां तक कि साझेदारी के पंजीकरण से संबंधित आय-कर कानून भी केवल इस पर रोक लगाने से इनकार करता है। जब इस तरह की साझेदारी के गठन का उद्देश्य आय-कर की घटनाओं से बचना है और इससे अधिक कुछ नहीं। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि न्यायाधिकरण ने सही तरीके से सराहना की इस निष्कर्ष पर पहुंचने में वर्तमान मामले के तथ्य कि मैच काम करता है, साझेदारी के इस अनुदेश के वास्तविक पक्ष थे।"

आयुक्त की ओर से पेश होने वाला सॉलिसिटर-जनरल/महान्यायभिकर्त्ता उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वास्तव में अपीलीय शक्तियों को ग्रहण किया था और उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की

थी जिन पर निष्कर्ष निकाला गया था। न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने इन तथ्यों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि "मैच वर्क वास्तविक भागीदार थे, और उच्च न्यायालय उस निष्कर्ष के आधार पर निर्दिष्ट कानून के प्रश्नों पर अपनी राय दर्ज करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न पर बाध्य था।

भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा 26-ए फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए कानून बनता है। उस धारा द्वारा किसी भी फर्म के आधे आवेदन को पंजीकरण के लिए आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि फर्म का गठन साझेदारी के एक साधन के तहत किया गया है, जिसमें व्यक्ति को भागीदारों के शेयर निर्दिष्ट किया गया है। आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे समय पर किया जाना चाहिए और इसमें शामिल होंगेः ऐसे विवरण और ऐसे रूप में होंगे जो पूर्व निर्धारित हों। यह एक फर्म के लिए बिना पंजीकरण के व्यवसाय करने के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत खुला है। पंजीकरण का आदेश प्राप्त करके, फर्म के भागीदार निर्धारण की इकाई के रूप में प्रभारित होने पर, फर्म की पूरी आय पर लागू होने वाली कर की कम दरों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। निर्धारण के सुसंगत वर्ष में यदि फर्म अपंजीकृत थी तो उसके द्वारा देय कर का निर्धारण किसी अन्य विशिष्ट इकाई के मामले में किया जाना था और फर्म पर ही कर लगाया जाना था। हालाँकि, यदि फर्म पंजीकृत थी, तो फर्म ने कर का भुगतान नहीं किया और इसलिए फर्म द्वारा देय कर निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन फर्म से प्राप्त लाभ के हिस्से को प्रत्येक भागीदार की आय में जोड़ा गया था, और कुल मिलाकर इस तरह निर्धारित कर भागीदारों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लगाया गया था। यह स्पष्ट है कि यदि फर्म इस विशेषाधिकार को प्राप्त करना चाहती है तो उसे कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को सख्ती से पूरा करना होगा। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 59 के तहत बनाए गए नियम, नियम 2 से 6बी फर्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन पर सभी भागीदारों (जो नाबालिग नहीं हैं) द्वारा

व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और आवेदन नियम 3 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में फर्म के भागीदारों से प्रत्येक भागीदार के नाम, उसका पता, साझेदारी में प्रवेश की तारीख और लाभ और हानि में प्रत्येक भागीदार के हिस्से सहित अन्य प्रासंगिक विवरणों, आवेदन की तारीख में गठित फर्म के विवरण और आय, लाभ या लाभ के विभाजन के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। उन भागीदारों के बीच पिछले वर्ष में व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय का लाभ या हानि जो उस पिछले सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में थे। वर्ष ऐसी आय, लाभ या लाभ में हिस्सेदारी के हकदार थे या हानि, जहां आवेदन संबंधित पिछले वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। यदि आय-कर अधिकारी संतुष्ट है कि अस्तित्व में एक फर्म है जिसका गठन साझेदारी के साधन में दिखाया गया है और आवेदन पक्षकार रहा है। वास्तव में बनाया गया है, उसे पैर में लिखित रूप में दर्ज करना होगा उपकरण या प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, एक प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 26ए हो सकता है। के तहत साझेदारी का पंजीकरण। पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र केवल वर्ष के लिए सुनिश्चित करता है समें उल्लिखित है, लेकिन फर्म पंजीकरण का नवीनीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर कि 1 अप्रैल, 1950 का साझेदारी विलेख वास्तव में एक अनुबंध था। द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए एक समझौते से संबंधित समझौता वे सभी व्यक्ति जो उन पाँच व्यवसायों के मालिक थे जिनमें से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने विलेख पर हस्ताक्षर किए, आवेदन प्रस्तुत किया निर्धारिती के पाँच नामित भागीदारों ने इसका पालन नहीं किया नियम 2 और 3 और आय-कर अधिकारी की आवश्यकताओं के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आधार कि लाभ प्राप्ति का हिस्सा निर्धारिती के व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा वितरित किया गया था उन भागीदारों में से चार जिन्होंने साझेदारी में प्रवेश किया था व्यवसाय में अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध पेक्टिव माचिस कारखाने, अन्य से स्वतंत्र रूप से खड़े हैं आधार, यह तय करने में बहुत

मूल्यवान नहीं हो सकता है कि क्या सभी माचिस कारखानों के भागीदारों का इरादा निर्धारिती के भागीदार था। निर्धारिती के भागीदार। यह एक साथी के लिए खुला है जो प्राप्त करता है उस हिस्से के निपटान के लिए फर्म के लाभ में उसका हिस्सा किसी भी तरह से वह चाहता है, और डिस से कोई अनुमान नहीं इस तरह के लाभ के हिस्से का दखल अकेले ही हो सकता है अनुमान है कि वे व्यक्ति जिन्हें अंततः लाभ प्राप्त हुआ लाभ का उपयुक्त हिस्सा उस फर्म का भागीदार होता है जिसने मुनाफ़ा कमाया। लेकिन न्यायाधिकरण ने तीन परिस्थितियों का निवारण किया है। साझेदारी विलेख की शर्तें प्रो पर कमीशन का भुगतान करने के लिए एक बाध्यकारी को लागू करने के लिए दावा किया। पाँच माचिस कारखानों का डक्शन, जिनके प्रतिनिधि ईओनोमाइन भागीदार के रूप में शामिल होने की मांग की। इस तरह का अधिरोपण न्यायाधिकरण की दृष्टि में एक दायित्व असंगत था उन कारखानों के प्रतिनिधियों के भागीदार होने के साथ निर्धारिती अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में एक बार फिर ऐसा ही हुआ पता चला कि ज्ञानम मैच वर्क्स ने पूंजी का योगदान दिया था निर्धारिती को सीधे और उसके प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं। ये दोनों परिस्थितियाँ, भाग के बीच व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा लाभ के अंतिम वितरण के साथ मिलकर माचिस कारखानों के मालिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1 अप्रैल, 1950 को विलेख पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक भागीदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं, बल्कि प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। उसका माचिस का कारखाना। यह स्वीकार करते हुए कि वह साक्ष्य जिससे अनुमान लगाया जाता है यह बहुत ठोस नहीं था, यह अभी भी विशेष रूप से न्यायाधिकरण के प्रांत के भीतर था कि वह उस प्रश्न का निर्णय उसके सामने साक्ष्य पर करे, और इसका निर्णय कि साझेदारी के विलेख में प्रवेश करते समय, नामित भागीदारों ने प्रतिनिधित्व किया उनके संबंधित माचिस कारखाने, कैनवास होने के लिए खुले नहीं थे, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत एक संदर्भ में उच्च न्यायालय ने कहा कि खंड 16 साझेदारी विलेख के खंड 16 ने नही किया। भागीदारों पर कोई दायित्व अधिरोपित करने या पाँच फर्मों

के उनके प्रतिनिधियों को उस खंड के तहत निर्धारित कमीशन का भुगतान करना। निस्संदेह, माचिस कारखानों पर इस तरह के दायित्व को स्पष्ट रूप से लागू करने वाली कोई वाचा नहीं है, लेकिन यह न्यायाधिकरण के लिए खुला था। इस तरह की एक असामान्य वाचा का प्रतिपादन यह अनुमान लगाने के लिए कि निर्धारिती के नामित भागीदार प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे अपने-अपने कारखानों की 19316 की शर्तों से मान लेना कि इन माचिस कारखानों के मालिक खंड 16 में निहित वाचाओं से बंधे नहीं थे, राय के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर ग्रहण करना है। ऐसी भी स्थिति थी कि ज्ञानम मैच वर्क्स की लेखा पुस्तकों में पलानीस्वामी नादर थे। मूल्यांकनकर्ता एक प्रतिनिधि, पूंजी को योगदान के रूप में डेबिट किया गया था इससे संकेत मिलता है कि ज्ञानम मैच वर्क्स इस साझेदारी में सीधे तौर पर रुचि रखता था। यदि उस कारखाने ने पलानीस्वामी नादर को पूंजी के अपने हिस्से का योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम राशि दी होती, तो कारखाने की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि उसके भागीदार के नाम पर होती, न कि निर्धारिती के नाम पर। यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जो इस निष्कर्ष को उचित ठहराती है कि 1 अप्रैल, 1950 के विलेख में प्रवेश करते हुए पलानीस्वामी ने ज्ञानम मैच वर्क्स के सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से काम किया। नामित भागीदारों द्वारा प्राप्त लाभ को संबंधित माचिस कारखानों में अपने भागीदारों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही देखी गई, अपने आप में एक निर्णायक परिस्थिति है। लेकिन इसने उच्च न्यायालय को एक ऐसे प्रश्न पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की अवहेलना करने के लिए अधिकृत नहीं किया जो अनिवार्य रूप से एक तथ्य था। जब उच्च न्यायालय ने कहा कि वे संतुष्ट हैं कि न्यायाधिकरण ने सही ढंग से सराहना नहीं की है इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सबूत कि प्रत्येक मैच फैक्ट्री साझेदारी के साधन में वास्तविक पक्ष था, उन्होंने खुद को अधिकार क्षेत्र में ग्रहण किया जो वे स्वामित्व नही रखते है।

यह निर्धारिती का मामला नहीं था कि कोई साक्ष्य जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया यह स्थापित किया जा सकता था, और न ही निर्धारिती का मामला था कि निष्कर्ष इतना विकृत था कि कोई उचित निकाय नहीं था कानून में ठीक से प्रशिक्षित लोग आ सकते थे उस निष्कर्ष पर। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से इस तरह का सवाल आदेश से नहीं उठ सकता था न्यायाधिकरण का, और ऐसा कोई भी उच्च न्यायालय को नहीं भेजा गया था वास्तव में संदर्भित प्रश्न के अनुसार, तिरबुनाल तथ्यों पर उच्च न्यायालय की राय मांगी और पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की परिस्थितियाँ निर्धारिती का निर्णय कानून की दृष्टि से सही था। अगर ऐसा होता तो निर्धारिती कि न्यायाधिकरण का निष्कर्ष इस पर आधारित था कोई सबूत नहीं, या कि यह विकृत था, उच्च न्यायालय कर सकता था उस पर न्यायाधिकरण से एक संदर्भ के लिए बुलाने के लिए कहा जाए सवाल करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया।

यह सच है कि धारा 26ए को लागू करने का उद्देश्य। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित नियम कर को रोकने के लिए दायित्व का पलायन है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह स्थापित किया कि कर चोरी का प्रयास किया गया था या वास्तविक था। यह हमेशा एक व्यक्ति के लिए खुला रहता है, कानून के अनुरूप, अपने कार्यों को इस तरह व्यवस्थित करने के लिए कि वह अपनी कर देनदारी को कम कर सके कानून के तहत अनुमत न्यूनतम तक। तथ्य यह है कि एक को अपनाने से कर की देयता को कम किया जा सकता है विधि जिसकी अनुमति देती है, वह कानून में पूरी तरह से अप्रासंगिक है, उस समीचीन की वैधता को दरकिनार करना। लेकिन कानून कहाँ है? कम राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है कराधान के लिए दायित्व, उन शर्तों, जब तक कि अन्यथा प्रदान किए गए, कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, और यदि वे नहीं हैं इस प्रकार अनुपालन करने पर, कर अधिकारी बाध्य होंगे - करदाता को दावा किया गया लाभ देने से इनकार करना। जब फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो आयकर अधिकारी

को यह पता लगाने का अधिकार है कि क्या दस्तावेज़ में भागीदारों के नाम उन व्यक्तियों के हैं जिन्होंने सहमति व्यक्त की है। भागीदार होने के लिए, क्या शेयर ठीक से निर्दिष्ट हैं और क्या शेयरों के बारे में विवरण वास्तविक है या केवल लाभ को अलग तरीके से वितरित करने के लिए एक अमानत। यदि सभी व्यक्ति जो वास्तव में भागीदार बनने के लिए सहमत हुए हैं विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या उनके शेयर वास्तव में निर्धारित नहीं हैं साझेदारी विलेख, आयकर अधिकारी के लिए विलेख को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए खुला होगा, भले ही साझेदारी के सामान्य कानून के तहत भागीदारों के अधिकारों और दायित्वों को अन्यथा समायोजित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, यदि उस प्रपत्र से संबंधित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है जिसमें याचिका प्रस्तुत की जानी है, और प्रासंगिक जानकारी को रोक दिया जाता है, तो आयकर अधिकारी को पंजीकरण से इनकार करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। मेरे विचार में उच्च न्यायालय ने रोक लगाने में गलती की थी।

प्रश्न प्रस्तुत करता है कि धारा 26ए के तहत निर्धारिती का पंजीकरण। आयकर अधिनियम में से ए को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय को भेजे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार, अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज की गई

उपेंद्र नारायण सिंह